



कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

ज्ञाप. क्रमांक 1650/तक./लोन-3/पी.20/ए.डी.बी./2019-20 बिलासपुर दिनांक 28/12/2019

प्रति,

कलेक्टर

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :-

रायगढ़ जिले के अंतर्गत धरमजयगढ़-कापू मार्ग कुल लम्बाई 32.596 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु ऐतिहासिक स्थल होने अथवा न होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

— 00 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य ए.डी.बी. लोन-3 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। उक्त कार्य के अन्तर्गत 10.465 हेक्टेयर वन भूमि/राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसका वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत निर्माण कार्य की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत मार्ग मध्य से दोनों ओर 300-300 मी की दुरी तक ऐतिहासिक स्थल होने अथवा न होने संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः ऐतिहासिक स्थल होने अथवा न होने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सहपत्र :- शून्य।

(ए.के. दीवान)

परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक/तक./लोन-3/पी.20/ए.डी.बी./2019-20 बिलासपुर दिनांक/...../2019

प्रतिलिपि :-

1. परियोजना निदेशक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. सिरपुर भवन रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. टीम लीडर, फोरट्रेस इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइसरी सर्विसेस, बंगला नम्बर-31, एश्वर्य किंगडम कचना रोड रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहपत्र :- शून्य।

(ए.के. दीवान)

परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)